रेल दावा अधिकरण

पटना पीठ, पटना

वाद संख्या– OA(IIu)/PNBE/134/2023

पीठासीनः श्री राम बाबू शर्मा, माननीय सदस्य (न्यायिक), रेल दावा अधिकरण, पटना

श्री शिव कुमार प्रसाद, माननीय सदस्य (तकनीकी), रेल दावा अधिकरण, पटना

संस्थन की तिथिः 05.04.2023

निर्णय की तिथिः 27.02.2026

1. हेमलता कुमारी (मृतक की माता)
2. रणजीत सिंह (मृतक का पिता)
3. नीरज कुमार (मृतक का अवयस्क भाई)

सभी निवासी ग्राम–नीमा, पोस्ट–जठ डुमरी,
थाना–पुनपुन, जिला–पटना, बिहार, पिन–804453 .... याचीगण

बनाम

भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर .... उत्तरदाता

दावा राशिः ₹8,00,000/- मय ब्याज

उपस्थितिः

याचीगण के विद्वान अधिवक्ता– श्री जितेन्द्र प्रसाद –उपस्थित

उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता–श्री आलोक कुमार झा–उपस्थित

निर्णय

श्री राम बाबू शर्मा, माननीय सदस्य (न्यायिक):

1. याचीगण हेमलता कुमारी एवं अन्य ने यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–16 के अन्तर्गत धीरज कुमार उर्फ सुधीर कुमार की रेल की घटना में

मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप उन पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ (द्वारा महाप्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर) के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/- मय ब्याज दिये जाने की याचना के साथ प्रस्तुत की है।

2. याचीगण के अभिकथन के अनुसार, मृतक धीरज कुमार उर्फ सुधीर कुमार दिनांक 21.12.2021 को डुमरी हाल्ट रेलवे स्टेशन से तारेगना रेलवे स्टेशन का टिकट सं0 24105527 लेकर सदभावी यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था। वह डुमरी हाल्ट रेलवे स्टेशन पर पैसेन्जर ट्रेन में सवार हुआ था। अत्यधिक भीड़–भाड़ के कारण उसे सीट नहीं मिली एवं वह ट्रेन के डिब्बे के गेट के पास खड़ा था। उक्त ट्रेन जब पोठही रेलवे स्टेशन के पास पहुंची तो यात्रियों की धक्का–मुक्की एवं ट्रेन के जर्क के कारण वह उक्त चलती ट्रेन से नीचे गिर गया जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आयी एवं दिनांक 21.12.2021 को घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी।

3. उत्तरदाता द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत किया गया एवं याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया कि आवेदक द्वारा दाखिल दावा आवेदन झूठे एवं गलत तथ्यों से भरा है, गवाहों के कथन/बयान रिकार्ड पर उपलब्ध अभिलेखों द्वारा समर्थित नहीं है। जांच रिपोर्ट एवं पोस्टमार्टम से यह प्रतीत होता है कि यह किसी चलती ट्रेन से धक्का लगने का मामला है जहां मार्केट है एवं लोग रेलवे लाईन का उपयोग करने के आदी हैं लेकिन आवेदक ने झूठी और मनगढ़न्त कहानी गढ़कर मुआवजे का दावा किया है और इसे अनपेक्षित घटना साबित करने का प्रयास किया है। मृतक सदभावी यात्री नहीं था। इसलिए आवेदक प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। मृतक की मृत्यु उसकी स्वयं की लापरवाही से रेलवे लाईन पार करने के क्रम में हुई है। घटना रेल अधिनियम की धारा 123 (सी) की परिधि में नहीं आती है। मृतक किस ट्रेन से यात्रा कर रहा था उसका नाम नहीं बताया गया है। मृतक के पास से टिकट नहीं मिला था। यात्रा टिकट planted हो सकता है। अतः याचीगण की याचिका निरस्त किये जाने योग्य है।

वाद बिन्दु

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 14.07.2023 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये:-

(1) क्या मृतक प्रश्नगत रेलगाड़ी का सद्‌भावी यात्री था?

(2) क्या मृतक की मृत्यु से संबंधित घटना रेल अधिनियम, 1989 की धारा-123 (सी) (2) सपठित धारा 124-ए के अन्तर्गत परिभाषित अनपेक्षित घटना की परिधि में आती है?

(3) मृतक के आश्रित कौन-कौन हैं?

(4) आश्रितगण किस उपशम को प्राप्त करने के अधिकारी हैं?

5. याचीगण की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में हेमलता कुमारी का सशपथ मौखिक साक्ष्य ए0डब्लू0 1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से टिकट (प्रदर्श-A/1), स्टेशन मेमो (प्रदर्श-A/2), आवेदन (प्रदर्श-A/3), मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श-A/4), एफ0आई0आर0 (प्रदर्श-A/5), फाइनल रिपोर्ट (प्रदर्श-A/6), शव चालान (प्रदर्श-A/7), पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श-A/8), केस डायरी (प्रदर्श-A/9), आवेदक का आधार कार्ड (प्रदर्श-A/10) एवं आश्रित प्रमाणपत्र (प्रदर्श-A/11) की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है।

7. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में डी आर एम रिपोर्ट की मूल प्रति (सामूहिक रूप से प्रदर्श-R/1) प्रस्तुत की गयी है।

8. विपक्षी की ओर से किसी साक्षी को न्यायाधिकरण में परीक्षित नहीं कराया गया।

9. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया गया।

विनिश्चय

वाद बिन्दु संख्या 01 एवं 02

दोनों वाद–बिन्दु एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। अतः उनका एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

10. याचीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस किया गया है कि मृतक धीरज कुमार उर्फ सुधीर कुमार दिनांक 21.12.2021 को डुमरी हाल्ट रेलवे स्टेशन से तारेगना रेलवे स्टेशन का टिकट सं0 24105527 लेकर सदभावी यात्री के रूप में यात्रा कर रहा था। वह डुमरी हाल्ट रेलवे स्टेशन पर पैसेन्जर ट्रेन में सवार हुआ था। अत्यधिक भीड़–भाड़ के कारण उसे सीट नहीं मिली एवं वह ट्रेन के डिब्बे के गेट के पास खड़ा था। उक्त ट्रेन जब पोठही रेलवे स्टेशन के पास पहुंची तो यात्रियों की धक्का–मुक्की एवं ट्रेन के जर्क के कारण वह उक्त चलती ट्रेन से नीचे गिर गया जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आयी एवं दिनांक 21.12.2021 को घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में यात्रा टिकट प्राप्त होने का उल्लेख है। यात्रा टिकट की प्रति मूल आवेदन के साथ संलग्न की गई है।

11. उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान यह स्वीकार किया गया है कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करते समय जो टिकट मृतक के पास से प्राप्त हुआ था, विपक्षी रेलवे द्वारा सत्यापन कराये जाने पर उक्त टिकट सही पाया गया।

12. रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 (29) में यात्री शब्द को परिभाषित किया गया है, जो निम्नवत् है:–

धारा 2(29)–"यात्री से किसी विधिमान्य पास या टिकट से यात्रा करनेवाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।"

13. उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत वैधानिक डी आर एम रिपोर्ट में मृतक के पास से प्राप्त यात्रा टिकट को सही पाया गया है। टिकट संवेदक, जटडुमरी हाल्ट ने सत्यापन रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि–"टिकट नं0 URF24105509 to

24105558 तक दिनांक 17.12.21 को तारेगना स्टेशन से लाया गया था। टिकट सं0 URF 24105527 दिनांक 21.12.21 को जट डुमरी हॉल्ट से टेहटा स्टेशन के लिए जारी किया गया था।" इससे यह साबित होता है कि मृतक घटना के समय प्रश्नगत रेलगाड़ी का सदभावी यात्री था।

14. याची हेमलता कुमारी, ए0डब्लू0 1 ने अपने शपथपत्र की पैरा 3 में कहा है–

"...दिनांक 21.12.2021 को मृतक धीरज कुमार उर्फ सुधीर कुमार पढ़ने अपने घर से तरेगना जा रहा था वह डुमरी हाल्ट से तरेगना जाने को यात्रा टिकट लेकर सुबह वाली मेमु सवारी गाड़ी पर डुमरी हाल्ट पर सवार हुए थे.... "

15. दिनांक 29.02.2024 को अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी हेमलता कुमारी, ए0डब्लू0 1 ने बताया है कि–

" मृतक धीरज कुमार मेरा लड़का था, वह इंटर में पढ़ता था, कॉलेज का नाम मैं नहीं जानती हूँ कॉलेज अकौना गांव में है। वह पहले इयर का था. डीटीएस कोचिंग में पढ़ता था, कोचिंग साढ़े सात बजे सुबह के आसपास होती थी। हमसे अंतिम बातचीत घर से निकलने के समय हुआ था, घर से वह अकेले निकला था, साथ में बैग लेकर जाता था। घटना की सूचना किसी अंजान आदमी ने दिया था. सुबह लगभग छः बजे। सूचना मिलने के बाद मैं अपने पति के साथ पोठही गयी थी, जब मैं वहां पर गया तो उनके शरीर को पटरी के पास पाया। घर से पोठही जाने में करीब 20-25 मिनट लगा होगा। घटना स्टेशन पर ही घटी थी। मेरा पुत्र घर से करीब साढे पाँच बजे निकला करता था। ऐसा किसी व्यक्ति ने मुझे सूचना नहीं दिया था कि उनको कोई गिरते हुए गिरा हो। मुझे यह याद नहीं है कि मेरे सामने रिपोर्ट तैयार किया गया था। मृतक के साथ उसका बैग भी मिला था , बैग में ही पैसा व कागज वगैरह रखा हुआ था। यह कहना गलत है के मृतक के शव के पास से टिकट न मिला हो और बाद में मिला हो। ट्रेन का नाम मुझे पता नहीं है। घर में मेरे अतिरिक्त, मेरे पति एक बेटा और एक बेटी है। प्रस्तुत दावा के अलावा मुआवजा के वास्ते किसी अन्य न्यायालय में मुकदमा नहीं की हूं। यह कहना गलत है कि मेरा बेटा ट्रेन से यात्रा न कर रहे हो। यह कहना गलत है कि मेरा बेटा की मृत्यु अवैध रूप से रेलवे लाईन पार करने के दौरान हुआ हो। यह कहना गलत है कि मैं मुआवजा के लिए न्यायालय में झूठी गवाही देने के लिए आयी हूं।"

प्रस्तुत प्रकरण में डी आर एम रिपोर्ट में विपक्षी रेलवे ने मृतक के पास से प्राप्त टिकट को सही पाया है। इसके साथ ही याची की ओर से हेमलता कुमारी, ए0डब्लू0 1 ने अपने शपथपत्र एवं मौखिक साक्ष्य से यह साबित किया है कि मृतक घटना के समय वैध यात्री था। इसके अतिरिक्त साक्षी ए0डब्लू0 1 हेमलता कुमारी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई है परन्तु प्रतिपरीक्षण मेंऐसा कोई तथ्य निकलकर नहीं आया है जिससे साबित होता हो कि मृतक घटना के समय सदभावी यात्री नहीं था। अतः मृतक का सदभावी यात्री होना सिद्ध होता है।

मृतक घटना के समय सदभावी यात्री था, इस तथ्य को साबित करने का प्रथमदृष्टतया भार याचीगण पर था। याचीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेजों से यह साबित होता है कि मृतक घटना के समय टिकट के साथ एक सदभावी यात्री था। इस प्रकार याचीगण ने प्रथमदृष्टतया अपने सबूत के भार को डिस्चार्ज किया है। इसके विपरीत तथ्य को साबित करने का भार विपक्षी पर था। परन्तु विपक्षी की ओर से इसे साबित नहीं किया गया है। अतः मृतक का सदभावी यात्री होना साबित होता है।

16. रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123 (सी) अनपेक्षित घटना को परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है–

(1) यात्रियों को ले जाती हुई किसी रेलगाड़ी पर या उसके प्रतीक्षालय, अमानती सामान घर या आरक्षण अथवा टिकट घर या प्लेटफार्म रेलवे स्टेशन के परिसर के भीतर किसी अन्य स्थल में की गयी कोई अनपेक्षित घटना (कष्टकारी घटना/Untoward incident) का तात्पर्य है–

(i) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत कोई आतंकवादी कार्य करना, या

(ii) हिंसात्मक आक्रमण का प्रदर्शन या लूटपाट या डकैती करना, या

(iii) बलवा, गोली चलाकर मार देना या आगजनी की वारदात, अथवा

(2) यात्रियों को ले जाती हुई रेलगाड़ी से किसी यात्री का दुर्घटनावश गिर जाना।

17. स्टेशन प्रबंधक, पू0म0रे0, तारेगना द्वारा GRP INCHARGE रेल P.P. थाना तारेगना को संबोधित स्टेशन मेमो दिनांक 21.12.21 के अनुसार,

" On Duty SM/पोठही श्री संजय गोयल ने सूचना दिये कि पोठही स्टेशन के UP Line पर K.M. 18/21 स्टेशन सीमा पोठही पर एक पुरूष व्यक्ति उम्र करीब 22 साल (पुरूष) मृत अवस्था में पड़ा है।
On Duty SM श्री संजय जी को यह सूचना यात्रीगण द्वारा मिली। अतः आवश्यक कार्य हेतु आपको मेमो दिया जा रहा है।"

18. पत्रावली पर उपलब्ध मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में मृत्यु का कारण, ***"अज्ञात ट्रेन से कट जाने के कारण मृत्यु होना प्रतीत होता है।"*** अंकित है।
इस रिपोर्ट में यात्रा टिकट पाये जाने का उल्लेख है।

19. मूल आवेदन के साथ संलग्न पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिनांक 21.12.21 समय 2.50 PM के अनुसार:

The head was decapitated through crush lacerated wound through cervical vertebra. The decapitated head was attached with the .... to the rest of the body. The cervical second to fourth vertebra was crushed and found to be absent. The lower three cervical ....attached with the body..... The left upper limb was amputated....
Opinion- (1) above noted injuries were antemortem (2) Caused by heavy hard and blunt substance(s) impact. (3) death was due to injuries mentioned above (4) Time elapsed since death was within 24:00 hours (approx.) from the time of the PM examination.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वर्णित चोटें एवं पोस्टमार्टम में उल्लेखित मृतक की मृत्यु का समय याचीगण द्वारा मूल आवेदन में किये गये तथ्यों से मेल खाता है जिससे याचीगण द्वारा याचिका में किये गये तथ्यों की पुष्टि होती है। इस रिपोर्ट में जिन चोटों का वर्णन है रेल दुर्घटना में वैसी चोटें आना संभव है।

20. पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस फाइनल रिपोर्ट में उल्लेख है– "मृतक का मृत्यु सुधीर कुमार सिंह पिता रंजीत कुमार सिंह ग्राम नीमा वेला पो0 जट डुमरी, थाना पुनपुन, जिला पटना को किसी अज्ञात ट्रेन से कटने के कारण अंतिम प्रतिवेदन सं0 521/21 दिनांक 29.12.21 को समर्पित करता हूं।"

21. मृतक का चचेरा भाई सनी कांत कुमार ने रेल पी0पी0 अध्यक्ष, तारेगना को घटना के उपरांत दिनांक 21.12.21 को एक आवेदन दिया है जिसमें उसने कथन किया है कि पोठही स्टेशन से मुझे सूचना मिली कि एक व्यक्ति पोटही स्टेशन पर ट्रेन से कट गया है जो पोटही स्टेशन पर आए तो कटे व्यक्ति का पहचान किया। तो मेरा ही भाई जिसका नाम धिरज कुमार उम्र 19 वर्ष पिता रंजीत सिंह जो मेरे चचेरे भाई है जिसका पहचान किया।

22. उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत एडिशनल डी आर एम रिपोर्ट में संलग्न प्रारूप 2 के क्रम सं0 31 में– "गाड़ी सं0 03337 अप से किसी प्रकार गिर जाने से कटकर मर जाना प्रतित होता है", अंकित है।

23. उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत डी आर एम रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार–

जांच में पाये गये साक्ष्यों, गवाहों के बयान तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि ***मृतक धीरज कुमार उम्र करीब 18 वर्ष पे० रंजीत सिंह, ग्रा०- नीमा, पो०- जटडुमरी, था०- पुनपुन, जिला- पटना के पास एक रेल यात्रा टिकट सं० यूआरएफ 24105527, जटडुमरी हॉल्ट से टेहटा तक, दिनांक 21.12.2021 का निर्गत पाया गया, जिसका सत्यापन टिकट संवेदक, जटडुमरी हॉल्ट से कराया गया, जिसमें उनके द्वारा रिमार्क दिया गया कि टिकट सं० यूआरएफ 24105509 से 24105558 तक दिनांक 17.12.2021 को तारेगना स्टेशन से लाया गया था, टिकट सं० यूआरएफ 24105527 दिनांक 21.12.2021 को जटडुमरी हॉल्ट से टेहटा स्टेशन के लिए जारी किया गया था।*** *घटित घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। मृतक का घर घटनास्थल पोठही स्टेशन से मात्र 04 किमी की*

दूरी पर स्थित है, जहां विभिन्न ग्रामों का स्थानीय बाजार है. जहां लोग आदतन अनाधिकृत रूप से रेल लाईन पार कर आते-जाते हैं। मृतक की मृत्यु अवैध रूप से रेलवे लाईन पार करने के दौरान किसी गाड़ी के चपेट में आने से हुई है।

उपरोक्त डीआरएम रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से मृतक के पास से पाये गये टिकट का सत्यापन किया है। परन्तु अवैध रूप से रेलवे लाईन पार करने के क्रम में किसी चलती गाड़ी की चपेट में आने से मृत्यु होना बताया गया है। परन्तु अपने इस कथन के समर्थन में किसी लोको पायलट, सह लोको पायलट, गार्ड अथवा अन्य किसी प्रत्यक्षदर्शी को न्यायाधिकरण के समक्ष पेश नहीं किया गया है। अतः बिना किसी पुख्ता साक्ष्य के विपक्षी का कथन कि मृतक की मृत्यु अवैध रूप से रेलवे लाईन पार करने के क्रम में किसी चलती ट्रेन की चपेट में आने से हुई है, विश्वसनीय नहीं है।

24. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनकर, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि–व्यवस्था के आलोक में, यह तथ्य याची की साक्ष्य से साबित होता है कि मृतक घटना के समय सदभावी यात्री था एवं मृतक की मृत्यु ट्रेन से गिर जाने के कारण आयी चोटों से हुई है। कथित घटना रेल अधिनियम, 1989 की धारा–123 (सी) (2) सपठित धारा 124–ए के अन्तर्गत परिभाषित अनपेक्षित घटना की परिधि में आती है। अतः वाद बिन्दु संख्या 01 एवं 02 सकारात्मक रूप से याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किये जाते हैं।

<u>**वाद बिन्दु संख्या 03**</u>

25. विचारणीय है कि मृतक के आश्रित कौन–कौन हैं? मूल आवेदन के साथ याचीगण द्वारा पारिवारिक सूची संलग्न किया गया है जिसके अनुसार, रंजीत सिंह (मृतक का पिता), हेमलता कुमारी (मृतक की माता) सिमा कुमारी (मृतक की बहन) एवं निरज कुमार (मृतक का भाई) को मृतक के पारिवारिक सदस्यों के रूप में दर्शाया गया है। यह साक्ष्य अखण्डित है जिससे आश्रितता से सम्बन्धित याचीगण का कथन पूर्णतः सिद्ध है। अतः रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123 (बी) में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत रंजीत सिंह (मृतक का पिता) एवं हेमलता कुमारी (मृतक की माता) ही मृतक

के आश्रित की परिधि में आतें हैं और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तदनुसार यह वाद बिन्दु याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या 04

26. रेल दुर्घटना एवं अनपेक्षित घटना नियमावली 1990 जिसे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या 877 दिनांक 22.12.2016 द्वारा संशोधित करते हुए दिनांक 01.01.2017 से प्रभावित किया गया है, की प्रथम अनुसूची के प्रथम भाग में दी गयी व्यवस्था के अनुसार दुर्घटना में मृत व्यक्ति के आश्रितों को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹8,00,000/- (आठ लाख रूपये मात्र) का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। अतः याचीगण प्रतिकर के रूप में ₹8,00,000/- (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उस पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, घटना की तिथि से निर्णय की तिथि तक, प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

27. याचीगण की याचिका स्वीकार की जाती है। याचीगण का आवेदन पत्र कुल ₹8,00,000/- (आठ लाख रूपये मात्र) एवं उसपर 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज घटना की तिथि से निर्णय की तिथि तक, के लिए अधिनिर्णित किया जाता है।

प्रतिवादी रेलवे को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिकर की निर्णित धनराशि निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर अपर निबंधक, रेल दावा अधिकरण, पटना के यहाँ जमा करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 30 दिन के अंदर प्रतिकर धनराशि नहीं जमा करता है तो निर्णय की तिथि से प्रतिकर जमा करने की तिथि तक 9 प्रतिशत मय साधारण ब्याज प्रतिकर धनराशि जमा करेगा।

28. अपर निबंधक, रेल दावा अधिकरण, पटना एवार्ड की धनराशि याचीगण द्वारा समस्त औपचारिकता पूरी करने के पश्चात 90 दिन के अंदर निम्न प्रकार भुगतान करेंगे:-

क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	मृतक से संबंध	उम्र (वर्षों	एवार्ड की गयी	पार्टी के खाते में भुगतान की	राशि जो सावधि जमा खाता में तीन वर्षों के

			में)	धनराशि (₹)	जाने वाली राशि (₹)	लिए जमा की जानी है (₹)
1.	रंजीत सिंह	पिता	48	₹4,00,000	₹40,000	₹3,60,000
2.	हेमलता कुमारी	माता	44	₹4,00,000	₹40,000	₹3,60,000

29.(a) याचीगण को एवार्ड की गयी धनराशि में से कुल ₹80,000/– (अस्सी हजार रूपये मात्र) एवं उनके हिस्से के प्रतिकर पर उत्पन्न सम्पूर्ण ब्याज समान अनुपात में ई.सी.एस. द्वारा उनके बचत खाते में भुगतान की जायेगी। शेष धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन वर्ष के लिए किसी सावधि जमा योजना (एफ.डी.आर.) के अन्तर्गत निवेशित की जायेगी। मूल, एफडीआर बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे। तथापि, एफडीआर संख्या, एफडीआर रकम, परिपक्वता की तारीख और परिपक्वता की रकम अंतर्विष्ट करने वाला विवरण बैंक द्वारा दावाकर्ता (दावाकर्ताओं) को प्रस्तुत किया जाएगा।

(b) याचीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने निवास स्थान के निकट स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़े अपने बचत बैंक खाते का विवरण इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक, रेल दावा अधिकरण, पटना को एक माह के अंदर उपलब्ध कराये। बैंक उसके बचत बैंक खाता या सावधि जमा खाता में किसी भी संयुक्त नाम को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा अर्थात् उनका बचत खाता एकल बचत खाता होगा, संयुक्त खाता नहीं होगा।

(c) एफ.डी.आर. की परिपक्वता राशि याचीगण के सम्बंधित बचत खाते में इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) द्वारा जमा की जायेगी।

(d) न्यायाधिकरण की अनुमति के बिना सावधि जमा पर कोई ऋण, अग्रिम निकासी या समय से पहले भुगतान की अनुमति नहीं होगी।

(e) सम्बंधित बैंक याचीगण को कोई चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं करेगा। डेबिट कार्ड या चेकबुक पूर्व में ही जारी किये जाने की स्थिति में बैंक प्रतिकर की धनराशि के वितरण के पूर्व ही इसे (रदद) कर देगा।

(f) बैंक याचीगण की पासबुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। याचीगण विधिवत आवश्यक पृष्ठांकन के साथ बैंक मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी पासबुक न्यायाधिकरण के अपर निबंधक पटना के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह याचीगण को केवल निकासी फार्म के माध्यम से अपने बचत खाता से पैसा निकालने की अनुमति देगा।

30. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाय और उभयपक्ष को निर्णय की प्रति स्पीड पोस्ट से भेजी जाय। तत्पश्चात समस्त औपचारिकता पूरी होने के पश्चात पत्रावली को दाखिल दफ्तर किया जाय।

27/02/2026
(शिव कुमार प्रसाद)
सदस्य (तकनीकी)
दिनांक 27.02.2026

27/02/2026.
(राम बाबू शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
दिनांक 27.02.2026

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

27/02/2026
(शिव कुमार प्रसाद)
सदस्य (तकनीकी)
दिनांक 27.02.2026

27/02/2026
(राम बाबू शर्मा)
सदस्य (न्यायिक)
दिनांक 27.02.2026